राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांकः एफ 5( )प्राशिमं/सामान्य/2014–15/ दिनांक :

प्रधानाचार्य,

समस्त निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय , द्वारा ई मेल।

विषय :– निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में मण्डल द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि मई 2014 की परीक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज (राजकीय/निजी)/राजकीय विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए मण्डल के पत्रांक एफ 5( ) प्राशिमं/सामान्य/2014–15/ 3675–76 दिनांक 25.6.2014 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा केन्द्राधीक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है।

आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इन दिशा निर्देशों का अक्षरक्षः पालन करें। दिशा निर्देशों की अवहेलना करने अथवा परीक्षा को बाधित करने की अवस्था में मण्डल द्वारा आप पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि पाये जाने पर आपके महाविद्यालय की मण्डल के साथ सम्बद्धता तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अन्य महाविद्यालयों में स्थानान्तरण कर दिया जाएगा।

संलग्न : पूर्व प्रसारित दिशा निर्देश।

ह०

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांकः एफ 5( )प्राशिमं/सामान्य/2014–15/ 4043 दिनांक 9-7-2014

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, ई–2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ।
4. समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय जिन्हें परीक्षा केन्द्र बनाया गया है द्वारा ई मेल।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बांरा, बाडमेर, बूंदी, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमागढ, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, जोधुपर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सीकर, सिरोही, टौंक द्वारा ई मेल।
6. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झालावाड, चित्तौडगढ एवं दौसा द्वारा ई मेल।
7. नोडल अधिकारी को मण्डल की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

16

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान.

डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

कमांक. एफ 5( )प्राशिमं / सामान्य / 2014–15 / दिनांक :

प्रधानाचार्य,

समस्त निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय , द्वारा ई मेल।

विषय :– निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र नजदीकी इंजीनियरिंग कॉलेज (राजकीय / निजी) / राजकीय विद्यालय में स्थापित करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि मई 2014 की परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र नोट करें विद्यार्थियों को इससे अवगत करावें। जिन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थापित किये गये हैं उन्हें पृथक से ई मेल द्वारा सूचित कर दिया गया है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं अप्रत्याशित समस्याओं के समाधान हेतु मण्डल में दिनांक 01 जुलाई 2014 से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के नाम एवं मोबाईल नम्बर निम्नानुसार है :–

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्री अशोक कुमार चौहान	संयुक्त निदेशक एवं सचिव	9414701941, 9950777523
2	श्री पंकज कुमार मेहता	संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार)	9414673227
3	श्री राजेश व्यास	विभागाध्यक्ष	9413249088

परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा अपने परीक्षा केन्द्र के लिए एक समन्वयक अधिकारी (जो कि विभागाध्यक्ष स्तर का हो) की नियुक्ति करनी होगी जो कि मण्डल एवं परीक्षा केन्द्र के साथ समन्वय रखते हुए परीक्षा के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करेंगें।

2. परीक्षा से संबंधित समस्त सामग्री यथा विभिन्न प्रकार की सीलें, सभी प्रकार के प्रारूप, वीक्षकों एवं केन्द्राधीक्षकों के निर्देश, **खाली उत्तर पुस्तिकाऐं** एवं पैकिंग मैटिरियल इत्यादि निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय द्वारा अपने महाविद्यालय के लिए निर्धारित (परीक्षा केन्द्र) इंजीनियरिंग कॉलेज (राजकीय / निजी) / राजकीय विद्यालय के प्राचार्य को देने होंगें। निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा समस्त सामग्री व्यक्तिगत रूप से परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य को हस्तांतरित करने होंगें। प्राचार्य द्वारा प्राप्ति रसीद प्रदान की जावेगी जिसकी एक प्रति पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मण्डल को प्रेषित की जायेगी।

3. परीक्षा फार्म एवं परीक्षा आयोजन हेतु मण्डल द्वारा प्रदान किये जाने वाली अन्य सामग्री पूर्व की भांति मण्डल की विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों द्वारा निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों को ही प्रदान की जायेगी। निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्राचार्यो की जिम्मेदारी होगी कि वे समय पर महाविद्यालय के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र को यह सामग्री सुपुर्द करेंगें। ।

4 परीक्षा आयोजन के लिए अन्य आवश्यक सामग्री जैसे समस्त प्रकार के चार्ट, आई एस कोड, स्टील टेबल, ड्राइंग शीटें, ग्राफ पेपर एवं अन्य सामग्रियां परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को परीक्षा से पूर्व ही सुपुर्द कर देंगें एवं सुपुर्दगी की सूचना अविलम्ब मण्डल को प्रेषित करेंगें।

5 परीक्षा के प्रश्न पत्र मण्डल द्वारा पूर्व की भांति ही निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों को प्रदान किये जायेंगें। प्रश्न पत्र वितरण की समय सारणी एवं निर्देश यथा समय जारी कर दिये जायेंगें। महाविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त प्रश्न पत्र व्यक्तिगत रूप से निर्धारित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य को हस्तांतरित करने होंगें। प्राचार्य द्वारा प्राप्ति रसीद प्रदान की जावेगी जिसकी एक प्रति निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मण्डल को प्रेषित की जायेगी।

जिन निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र राजकीय विद्यालयों में स्थापित किये गये हैं उनमें प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्र के नजदीकी थाने में सुरक्षित रखे जायेंगें एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय समन्वयक एवं परीक्षा केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिदिन के लिए आवश्यक प्रश्न पत्र थाने से लाकर परीक्षा का आयोजन करवाया जायेगा।

जिन निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्थापित किये गये हैं उनमें प्रश्न पत्र निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय समन्वयक द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के केन्द्राधीक्षकों को सुपुर्द कर दिये जायेंगें एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे प्रश्न पत्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सुरक्षित रखेंगें एवं प्रतिदिन के लिए आवश्यक प्रश्न पत्र निकालकर परीक्षा का आयोजन करवायेंगे।

6. इंजीनियरिंग कॉलेज (राजकीय/निजी)/राजकीय विद्यालयों को परीक्षा हेतु स्थान, फर्नीचर, वीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी उपलब्ध करवाने होंगें। स्टाफ हेतु मण्डल की देय दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों को परीक्षा समाप्ति के पश्चात् मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने होंगें।

7. परीक्षा आयोजन के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल प्रेषित करने के लिए संयुक्त निदेशक गोपनीय द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिये जायेंगें। निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय समन्वयक का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे मण्डल के नियमानुसार उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग करवायेंगें। उत्तर पुस्तिका के बण्डल परीक्षा केन्द्र/संस्थान के स्टोंग रूम/डबल लोक/नजदीकी पुलिस थाना में सुरक्षित रखे जायेंगें एवं संयुक्त निदेशक (गोपनीय) द्वारा जारी कार्यकम के अनुरूप निजी पॉलिटेक्निक के समन्वयक द्वारा परीक्षा केन्द्र अधीक्षक से प्राप्त कर मण्डल को भेजा जायेगा।

8 परीक्षा केन्द्र अधीक्षक समस्त सामग्री का रिकॉर्ड एवं आवक–जावक का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगें एवं आवश्यकतानुसार मण्डल को उपलब्ध करवायेंगें।

9. परीक्षा समाप्ति के पश्चात निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों का यह दायित्व होगा कि वे संबंधित परीक्षा केन्द्र से शेष रही समस्त परीक्षा सामग्री एवं सीलें सभी प्रकार के प्रारूप, वीक्षकों एवं केन्द्राधीक्षकों के निर्देश, **खाली उत्तर पुस्तिकाए** एवं पैकिंग मैटिरियल समस्त प्रकार के चार्ट, आई एस कोड, स्टील टेबल, ड्राइंग शीटें, ग्राफ पेपर इत्यादि इत्यादि प्राप्त कर लेंगें एवं इसकी सूचना मण्डल को प्रेषित करेंगें।

10. इंजीनियरिंग कॉलेज (राजकीय/निजी)/राजकीय विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी एवं जिन मदों के लिए मण्डल में मानदेय अथवा अन्य राशि देय है उनके लिए भुगतान मण्डल द्वारा नियमानुसार कर दिया जावेगा एवं **अन्य सभी प्रकार के व्ययों का उत्तर दायित्व संबंधित निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का होगा।**

संलग्न : परीक्षा केन्द्रों की सूची। (मण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध है)

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक: एफ 5( )प्राशिमं/सामान्य/2014–15/ 3675-76 दिनांक 25-6-2014

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, ई–2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर
5. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर ।
6. विभागाध्यक्ष, (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर !
7. कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर ।
8. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर ।
9. समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय जिन्हें परीक्षा केन्द्र बनाया गया है द्वारा ई मेल।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, बांरा, बाडमेर, बूंदी, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमागढ, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, जोधुपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सीकर, सिरोही, टौंक द्वारा ई मेल।
11. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झालावाड, चित्तौडगढ एवं दौसा द्वारा ई मेल।
12. प्रभारी गोपनीय शाखा, परीक्षा शाखा, लेखा शाखा, कम्प्यूटर शाखा, भण्डार, रोकडपाल, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
13. नोडल अधिकारी को मण्डल की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव